सत्यमेव जयते

Extra

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

वाद संख्या 6948 / 1150 / 2016 दिनांक 27.04.2017

श्री सलीम कुजूर, R668
डी–438, बक्करवाला,
जे.जे. कालोनी, नई दिल्ली – 110041 ... शिकायतकर्ता

बनाम

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, R669
द्वारा – प्रबन्ध निदेशक,
मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन,
बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली – 110001 .... प्रतिवादी

सुनवाई की तिथि – 06.04.2017 1600 बजे

उपस्थित –

1. श्री सलीम कुजुर, शिकायतकर्ता
2. श्री सुशील गुप्ता, प्रबन्धक (संचालन), श्री ए. एस. राव, विधि अधिकारी, दिल्ली मेट्रो प्रतिवादी पक्ष से

आदेश

शिकायतकर्ता, 90 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति (दोनों टाँगों में विकलांगता) ने सूखे बैटरी से चलने वाली तीन पहिए व्हीलचेयर से मेट्रो ट्रेन में जाने–आने की अनुमति प्रतिवादी द्वारा नहीं देने के सम्बन्ध में शिकायत पत्र दिनांक 19.09.2016 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवँ पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसको यहाँ इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा, के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

2. शिकायतकर्ता का कहना था कि वे जे.जे. कालोनी में रहते हैं और प्रतिदिन पालिका बाज़ारा में पटरी लगाने के लिए सूखे बैटरी से चलने वाली तीन चक्केवाली व्हीलचेयर से आते हैं। राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन पर उनको मेट्रो ट्रेन में जाने से रोका जाता है। शिकायतकर्ता ने सुरक्षा जाँच के बाद बिना रोक–टोक के जाने–आने की अनुमति दिलाने का अनुमोदन किया।

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 59 के अन्तर्गत मामले को पत्र दिनांक 08.11..2016 के द्वारा प्रतिवादी के साथ उठाया गया।

4. प्रतिवादी ने पत्र दिनांक 21.12.2016 के द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया और यह सूचित किया कि प्रार्थी द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तिपहिया साईकिल, शहरी विकास मंत्रालय की

विकलांग एवं वृद्ध व्यक्तियों के लिए नीति और कार्यक्रम पर विनिबंध, दिसम्बर 2012 में वर्णित भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृति के अनुसार व्हीलचेयर के अनुरूप नहीं है जबकि दिल्ली मेट्रो प्रणाली की संरचना भारतीय मानक संस्थान द्वारा स्वीकृत व्हीलचेयर के अनुरूप है। वास्तव में प्रार्थी द्वारा उपयोग में लाने वाला वाहन का आकर मानक व्हीलचेयर से कहीं अधिक है जिसे मेट्रो प्रणाली के मानक संरचना में प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर परिचालक के साथ व्हीलचेयर उपलब्ध है, प्रार्थी भी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी की बैटरी चालित तिपहिया साइकिल को दिल्ली मेट्रो में अवागमन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।

5. शिकायतकर्ता ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 27.12.2016 और 01.02.2017 के द्वारा सूचित किया कि उनके दोनों पैरों में सरिया डाला गया है जिससे हिलने डूलने में परेशानी होती है जिसके कारण एक ही व्हील चेयर में समय बीताना पड़ता है। दिल्ली मेट्रो के उत्तर के अनुसार प्रार्थी को एक हेल्पर (सहायक) हमेशा चाहिए जो कि प्रार्थी के पास नहीं है। मेट्रो ट्रेन के अगले और पीछले डिब्बे में व्हीलचेयर खड़ा करने का स्थान है उस स्थान पर मेट्रो के अधिकारी व्हीलचेयर खड़ा करने से मना करते हैं। प्रार्थी ने यह भी कहा है कि मेट्रो के अधिकारी और विकलांगजन आयुक्त मिलकर मुण्डका स्टेशन पर आए और वहाँ पर व्हीलचेयर मेट्रो ट्रेन में ले जाने के लिए चेक करें और यदि परेशानी होती है तो प्रार्थी अपना व्हीलचेयर मेट्रो के अनुरूप बनाएंगे यदि नहीं होती है तो आने–जाने की अनुमति दी जाए।

6. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में मामले को सुनवाई हेतु दिनांक 06.04.2017 को रखा गया।

7. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने विकलांगता के कारण बिना व्हीलचेयर के चलने फिरने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए अपनी शिकायत दाहराई और सूखे बैटरी से चलने वाली अपनी तिपहिया साईकिल के साथ मेट्रो ट्रेन में जाने–आने की अनुमति दिलाने का अनुरोध किया।

8. प्रतिवादी पक्ष की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि ने अपना लिखित बयान दिनांक 30.03.2017 प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के अनुसार इस मामले में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी चिंता जताई थी कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली तिपहिया साइकिल, जो बैटरीयुक्त है, का उनके द्वारा तलाशी एवं जाँच कर पाना सम्भव नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से गम्भीर मसला और बैटरी चालित तिपहिया साइकिल का मेट्रो परिसर में उपयोग की अनुमति नहीं है। इसके अलावा इस साइकिल के उपयोग से दूसरे चात्रियों को होने वाली असुविधा, स्टेशन पर अभिगम्यता का मुद्दा, लिफ्ट में तिपहिया साइकिल लाने–लेजाने में कठिनाईयाँ, बैटरी चालित तिपहिया साइकिल में खराबी से घटना/दुर्घटना होने का खतरा, आदि मुख्य हैं। दिल्ली मेट्रो द्वारा यात्रियों के लिए प्र्याप्त सहायता/सुविधा/ सुरक्षा उलब्ध हैं एवं शिकायतकर्ता द्वारा प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध व्हीलचेयर का प्रयोग कर यात्रा का लाभ उठाया जा सकता है। अधिनियम की धारा 44 एवं 46 के अनुसार दिल्ली मेट्रो के परिचालन में इन

धाराओं के अन्तर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्णरूप से, जहाँ भी लागू होता है, सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तत्कालिक मामले में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की चिंता वास्तविक है क्योंकि उनके द्वारा शिकायतकर्ता की बैटरी चालित तिपहिया सइकिल की तलाशी एवं जाँच (DFMD/X-BIS) के माध्यम से नहीं की जा सकती है। शिकायतकर्ता की बैटरी चालित तिपहिया साइकिल का माप दिल्ली मेट्रो रेल निगम में उपलब्ध व्हीलचेयर एवं स्वचालित किराया संग्रह दरवाजे (Automatic Fare Collection Gates) के माप से कहीं अधिक है, जिसका तुलनात्मक आयाम निम्नलिखित है –

क्रम संख्या	आयाम	शिकायतकर्ता की बैटरी चालित तिपहिया साइकिल	दिल्ली मेट्रो में उपलब्ध व्हीलचेयर
1.	लम्बाई	159 सेन्टीमीटर (137 सेन्टीमीटर जब अगला पहिया 90 डिग्री पर मोड़ा जाए)	111 सेन्टीमीटर
2.	चौड़ाई	78 सेन्टीमीटर	68 सेन्टीमीटर
3.	ऊँचाई	100 सेन्टीमीटर	87 सेन्टीमीटर

शिकायतकर्ता अपना व्हीलचेयर (ना कि तिपहिया साइकिल), दिल्ली मेट्रो में उपलब्ध व्हीलचेयर के आयाम के अनुरूप परिवर्तित करके यात्रा का लाभ उठा सकता है।

9. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तथा बयानों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली बैटरीचालित तिपहिया साइकिल की तलाशी एवं जाँच (DFMD/X-BIS) के माध्यम से नहीं की जा सकती है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसका मेट्रो परिसर में उपयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा शिकायतकर्ता की बैटरी चालित तिपहिया साइकिल का माप दिल्ली मेट्रो रेल निगम में उपलब्ध व्हीलचेयर एवं स्वचालित किराया संग्रह दरवाजे (Automatic Fare Collection Gates) के माप से कहीं अधिक प्रतीत होता है। यदि शिकायतकर्ता अपना व्हीलचेयर दिल्ली मेट्रो में उपलब्ध व्हीलचेयर के आयाम के अनुरूप परिवर्तित करके और सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करते हुए यात्रा का लाभ उठाना चाहता है तो प्रतिवादी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शिकायतकर्ता के कथनानुसार यदि उसे मेट्रो ट्रेन में एक ओर से जाने की अनुमति दी जाती है तो दूसरी ओर से आने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को यह सलाह दी जाती है कि सुरक्षा के सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए, शिकायतकर्ता को उसके आवागमन के लिए मेट्रो के उपयोग में उचित बाधारहित सुविधा प्रदान करें, जिससे की वह अपने अधिकारों से वंचित न हों।

10. तद्नुसार मामले का निपटारा किया जाता है।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन